इंटरनेट मानक

Disclosure to Promote the Right To Information

Whereas the Parliament of India has set out to provide a practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, and whereas the attached publication of the Bureau of Indian Standards is of particular interest to the public, particularly disadvantaged communities and those engaged in the pursuit of education and knowledge, the attached public safety standard is made available to promote the timely dissemination of this information in an accurate manner to the public.

"जानने का अधिकार, जीने का अधिकार"
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan
"The Right to Information, The Right to Live"

"पुराने को छोड नये के तरफ"
Jawaharlal Nehru
"Step Out From the Old to the New"

IS 6968 (1973, Reaffirmed 1998): Code for Hygienic Conditions for Pan (Betel) Stalls and Vendors. UDC 633.792 : 725.219.2 : 613.6

"ज्ञान से एक नये भारत का निर्माण"
Satyanarayan Gangaram Pitroda
"Invent a New India Using Knowledge"

Act Number 22 of 2005
The Indian Parliament
RIGHT TO INFORMATION

Made Available By
Public.Resource.Org

"ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कभी चुराया नहीं जा सकता है"
Bhartṛhari—Nītiśatakam
"Knowledge is such a treasure which cannot be stolen"

IS 6968 : 1973
(पुनर्पुष्ट/Reaffirmed 1998)
(द्विभाषी)

भारतीय मानक

पान की दुकानों और विक्रेताओं के लिए स्वास्थ्यकर अवस्थाओं की संहिता

Indian Standard

CODE FOR HYGIENIC CONDITIONS FOR *PAN* (BETEL) STALLS AND VENDORS

(First Reprint MARCH 2005)

यूडीसी/UDC 633·792 : 725·219·2 : 613·6

© भा मा ब्यूरो 1991
भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110002

© BIS 1991
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI 110002

अप्रैल/April 1991 मूल्य वर्ग/Price Group 1

भारतीय मानक

पान की दुकानों और विक्रेताओं के लिए स्वास्थ्यकर अवस्थाओं की संहिता

Indian Standard

CODE FOR HYGIENIC CONDITIONS FOR *PAN* (BETEL) STALLS AND VENDORS

0 प्राक्कथन

0.1 इस भारतीय मानक के मसौदे को खाद्य स्वच्छता, नमूने लेने और विश्लेषण समिति द्वारा अन्तिम रूप देने और खाद्य उत्पाद विभाग परिषद् के अनुमोदन के बाद, भारतीय मानक संस्था द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 1973 को ग्रहण किया गया।

0.2 बाजार में बिकने वाला पान, पान के पत्तों, सुपारी, कत्था, चूना, कुछ मसाले और मीठा करने वाले तथा सुवासकारी पदार्थों से बनाया जाता है। पान में चबाने वाली तम्बाकू भी बहुतायत से डाली जाती है।

0.2.1 मुँह में पान दबाकर चबाते रहना भारतीयों की आम आदत है। पान के लिए ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पान की दुकानें और पान मंडपों में भी वृद्धि हो गई है। इस वृद्धि से पान मंडपों और दुकानों का रख-रखाव अस्वास्थ्यकर रीति से किया जाता है। इसमें पान बनाने और बेचने वाले व्यक्तियों को भी स्वच्छता संबंधी प्रारंभिक जानकारी नहीं होती। अतः पान मंडपों और दुकानों के लिए आधारभूत स्वच्छता संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध करने की दृष्टि से इस मानक का निर्धारण किया गया है।

0.3 इस संहिता में समय-समय पर संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और इसके अधीन बने नियमों में दिए गए प्रावधान भी लागू माने जायें।

0 FOREWORD

0.1 This Indian Standard was adopted by the Indian Standards Institution on 23 April 1973, after the draft finalized by the Food Hygiene, Sampling and Analysis Sectional Committee had been approved by the Agricultural and Food Products Division Council.

0.2 *PAN* (betel) offered for sale is prepared from betel leaves, areca nuts, *KATHA*, lime, certain spices and a number of sweetening and flavouring agents. Chewing tobacco is also widely used in *PAN*.

0.2.1 *PAN* chewing is a common habit in India. The rapid growth of *PAN* shops and stalls for catering to the needs of large number of customers has resulted in unhygienic maintenance of such shops and stalls and also preparation and sale of *PAN* by persons lacking preliminary knowledge of hygiene. Therefore, with a view to providing guidelines on basic hygienic conditions for *PAN* shops and stalls, this standard has been formulated.

0.3 This code is subject to the provisions in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, and the Rules framed thereunder as amended from time to time.

1 विषय क्षेत्र

1.1 इस संहिता में उन पान मंडपों अथवा दुकानों को लगाने और उनके रख-रखाव से संबंधित आवश्यक स्वास्थ्यकर अवस्थाएँ निर्दिष्ट की गई हैं जहाँ पान बनाये जाते हैं और विक्रेताओं को बेचे जाते हैं।

2 दुकानें और पान मंडप

2.1 पान की दुकानें अथवा पान मंडप स्वास्थ्यकर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही लगाए जाएँ। इसके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रखा जाए। सिफारिश की जाती है कि इसके लिए 1·50 × 1·50 मीटर से कम स्थान न हो।

1 SCOPE

1.1 This code prescribes the hygienic conditions required for establishing and maintaining *PAN* (betel) shops or stalls where prepared *PAN* is sold, and for vendors.

2 SHOPS AND STALLS

2.1 A *PAN* shop or stall shall be established at a place approved by the health authorities. For this, adequate space shall be provided. It is recommended that the space should be not less than 1·50 × 1·50 m.

2.2 पान के पत्ते रखने के लिए एक चबूतरा जो बैठने के स्थान से कम से कम 25 सेमी ऊँचा हो, बनाया जाए ।

2.3 चबूतरों को ऐसी अभेद्य सामग्री से ढक दिया जाए और इस तरीके से ढालू बनाया जाए ताकि फालतू पानी एक सिरे से नली के द्वारा नीचे रखी हुई बाल्टी में गिर सके ।

2.3.1 फालतू पानी किसी ऐसे स्थान पर फेंका जाए, जहाँ से पानी किसी नाली में जा सके। ऐसी सुविधा के अभाव में पानी को इस तरीके से फेंका जाए कि इससे दूसरे किसी को कोई परेशानी नहीं हो ।

3 प्रहस्तन और अन्य पहलू

3.1 तैयार पान अथवा चबूतरे पर पान के पत्ते एक ओर से खुलने वाली कांच की अलमारी में रखे जाएँ ।

3.2 पान तैयार करने में प्रयुक्त संघटक अच्छी स्वास्थ्यकर गुणता के हों तथा उन्हें ऐसे धारकों में रखा जाए जिन पर ढक्कन अच्छी तरह से लगाए जा सकते हों ।

3.2.1 विभिन्न संघटकों को रखने के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी धारकों की समय-समय पर अपमार्जक और पेय जल से अच्छी तरह धुलाई की जाए ।

3.3 दुकान अथवा पान मंडप में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी बर्तन यथासंभव स्टेनलेस इस्पात के हों । चीनी मिट्टी अथवा ऐल्युमिनियम, पीतल अथवा अन्य किसी उपयुक्त सामग्री से बने बर्तन उपयोग किये जा सकते हैं । बर्तन ऐसे हों कि उनमें जंग न लगे और वे आसानी से साफ किए जा सकें । बर्तनों में मौचे, गड्ढे, दरार, पपड़ी उतरने अथवा अन्य सतही दोष न पाए जाएँ, यदि पीतल के बर्तनों का उपयोए किया जाए तो उन पर उपयुक्त कलई की गई हो । बर्तन हर समय साफ रखे जाएँ ।

3.4 पान की दुकान अथवा पान मंडप में पानी के लिए पर्याप्त साइज का धारक रखा जाए जिसका ढक्कन ठीक तरह से बन्द हो सके उसमें टोंटी भी लगी हो । उसे प्रतिदिन खाली करके फिर अच्छी तरह साफ करके पानी से भरा जाए । धारक में भरा पानी पेय जल प्रयोजन के लिए ठीक हो और उसे दिन में बार-बार बदला जाए ।

3.5 ग्राहकों के हाथ साफ करने के लिए स्वच्छ कपड़ा उपलब्ध रखा जाए ।

3.6 पान की दुकान अथवा पान मंडपों में काम करने वाले व्यक्ति अपने नाखून कटे हुए रखें और वे साफ कपड़े पहनें ।

3.6.1 पान की दुकान अथवा पान मंडप में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में ऐसा न हो जो किसी चर्म रोग अथवा संक्रामक अथवा छूत के रोग से पीड़ित हो ।

3.6.2 चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को पान की दुकान अथवा पान मंडप में किसी भी काम के लिए न रखा जाए ।

2.2 There shall be a platform not less than 25 cm in height above the sitting arrangement for keeping betel leaves.

2.3 The platform shall be covered with an impervious material and shall be sloped in such a way as to drain out the waste water at one end through a pipe into a bucket hung below.

2.3.1 The waste water shall be disposed of in a place properly connected to a drain. In the absence of such a place, the water shall be disposed of in such a manner as not to cause any nuisance.

3 HANDLING AND OTHER ASPECTS

3.1 The prepared *PAN* or betel leaves on the platform shall be kept in a glass cupboard with an opening on one side.

3.2 The ingredients used in preparing *PAN* shall be of good hygienic quality and stored in containers with proper lids.

3.2.1 All receptacles used for storing various ingredients shall be periodically washed thoroughly with suitable detergents and potable water.

3.3 All the utensils used in the shop or stall shall preferably be of stainless steel. Chinaware, or utensils made of aluminium, brass or any other suitable material which is non-corrosive and easily cleanable, may also be used. The utensils shall be free from dents, pitting, cracks, chips or any other form of deterioration on the surface. In case brass utensils are used they shall be properly coated with tin. The utensils shall be maintained clean at all times.

3.4 A water receptacle of a sufficient size with a tight-fitting lid and a tap shall be provided in the *PAN* shop or stall. The receptacle shall be completely emptied and thoroughly cleaned every day before filling. The water stored in the receptacle shall be fit for potable purposes and shall be changed frequently during the day.

3.5 A clean cloth shall be provided for customers to clean their hands.

3.6 Persons employed in the *PAN* shop or stall shall keep their nails trimmed and shall wear clean clothes.

3.6.1 No person suffering from any skin disease or any infectious or contagious disease shall be engaged on the shop or stall in any capacity.

3.6.2 No person below 14 years of age shall be engaged on a shop or stall in any capacity.

3.7 दुकान अथवा मंडप में विक्रेता के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि उसके पैर, पान के पत्तों से अथवा पान बनाने के किसी भी संघटक के संपर्क में न आए।

3.8 अनुमोदित नमूने का कूड़ेदान, पान के पत्तों की कतरनें आदि फेंकने के लिए पान की दुकान अथवा पान मंडप के नीचे अथवा किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाया अथवा रखा जाए।

3.9 पान की दुकान अथवा पान मंडप के नजदीक उपयुक्त साइज का एक पीकदान रखा जाए, जिसमें मिट्टी अथवा बुझा चूना अथवा दोनों हों।

3.10 पान बेचने के लिए अधिकृत दुकानों में कोई भी घरेलू कीटनाशक अथवा ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए कोई भी ऐसी हानिकारक वस्तु बेचने के लिए नहीं रखी जाए जो ग्राहक के स्वास्थ्य के लिए घातक हो।

3.7 The sitting arrangement for the vendor in the shop or stall shall be such as to prevent contact of his legs with any ingredients or betel leaves.

3.8 A dust-bin of an approved pattern shall be kept hanging below the *PAN* shop or stall or kept at a convenient place for depositing cuttings of betel leaves, etc.

3.9 A suitable spittoon containing sand or slaked lime or both shall be provided near the *PAN* shop or stall.

3.10 The shops authorized for sale of *PAN* shall not keep for sale any household insecticides or any other item injurious to the health of the consumer.

विवाद की स्थिति में इस मानक की अंग्रेजी पाठ सामग्री ही प्रामाणिक मानी जाए।

In case of dispute, English Text of this standard shall be considered authentic.